

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1977 /2019

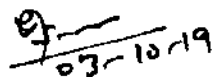
दिनांक 04.10.2019

श्रीमती अनिता चौधरी-II(RJ0840), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, (दक्षिण) कोटा को दिनांक 14.10.2019 से 10.04.2020 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 12.10.2019 से 13.10.2019 एवं 11.04.2020 से 12.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री रचना मीणा (RJ0959), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, (उत्तर) कोटा को श्रीमती अनिता चौधरी-II के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, (दक्षिण) कोटा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) सुश्री रचना मीणा (RJ0959), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, (दक्षिण) कोटा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/10/2015/ 9337-

दिनांक 04.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2510 दिनांक 24.09.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता चौधरी-II(RJ0840), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, (दक्षिण) कोटा।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, (दक्षिण) कोटा।
5. सुश्री रचना मीणा (RJ0959), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, (उत्तर) कोटा।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, (उत्तर) कोटा।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक / स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार